Prof Khushbu kumari, Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. college, Rajnagar, Madhubani, Darbhanga

Class - B.A-2 (H)
Paper - III

Topic - भारत का संविधान (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

1935 का शासन अधिनियम

(i) परिसंघ और प्रांतीय स्वायत्तता — 1935 के शासन अधिनियम में परिसंघ की स्थापना की गई। इसमें इकाई थी — प्रान्त और देशी रियासतें।

देशी रियासतों को परिसंघ में शामिल होने का विकल्प था, लेकिन इसके शासकों ने सहमति नहीं दी। इसलिए जिस परिसंघ की व्यवस्था थी, वह कभी नहीं बन सका।

इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में विभाजित कर दिया। गवर्नर, सम्राट की ओर से, प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था। वह गवर्नर-जनरल के अधीन नहीं था।

लेकिन प्रान्तीय स्वायत्तता के बाद भी केन्द्रीय सरकार का एक विशेष क्षेत्र में पूरा नियंत्रण बना रहा। कुछ विषयों में गवर्नर स्वविवेकानुसार कार्य करता था, जिस पर गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नियंत्रण होता था।

(ii) केन्द्र में द्वैध शासन —

Scanned with CamScanner

इस अधिनियम के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर-जनरल में निहित थी। इसके कार्यों को दो भागों में बांटा गया था -

(i) प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, चर्च संबंधी कार्य और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर-जनरल अपने स्वविवेकानुसार करता था।

(ii) इसके भिन्न विषयों में गवर्नर-जनरल का मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करना था। मंत्रिपरिषद् विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था।

लेकिन विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में गवर्नर-जनरल मंत्रिपरिषद् की सलाह के विरुद्ध कार्य कर सकता था।

(iii) विधान मंडल :- केन्द्रीय विधानमंडल में दो सदन थे - विधान सभा और राज्य परिषद्।

* 6 प्रान्तों में विधानमंडल द्विसदनीय थे - विधानसभा और विधान परिषद्।

* केन्द्रीय विधानमंडल की सीमाएं -

(i) केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर-जनरल के साथ ही सम्राट भी उस पर वीटो कर सकता था।

(ii) यदि किसी विधेयक का प्रभाव गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व पर पड़ता था, तो वह उस विधेयक पर विचार-विमर्श

Scanned with CamScanner

को रोक सकता था।

(iii) गवर्नर - जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी।

(iv) गवर्नर - जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना कुछ विषयों के संबंध में विधेयक या संशोधन विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता था।

(iv) केन्द्र और प्रान्तों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण :- इस अधिनियम में तीन प्रकार का विभाजन किया गया :-

(i) एक परिसंघ सूची (विदेश कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना, इत्यादि) थी जिस पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय विधानमंडल को थी।

(ii) एक प्रांतीय सूची (पुलिस, प्रान्तीय लोकसेवा, शिक्षा, इत्यादि) थी जिस पर प्रान्तीय विधानमंडल का अधिकार था।

(iii) एक समवर्ती सूची थी (दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह-विच्छेद, माध्यस्थम् इत्यादि) जिस पर परिसंघ और प्रान्त दोनों को कानून बनाने का अधिकार था।

* अवशिष्ट शक्तियों का आवंटन किसी के पास नहीं किया गया था।

* गवर्नर-जनरल द्वारा आपात की घोषणा किये जाने पर परिसंघ को प्रान्तीय सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति थी।

Scanned with CamScanner

Cripps Mission Proposals, 1942
क्रिप्स मिशन, 1942

1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिये तब और संविधान निर्माण सभा की स्थापना की मांग की तो इसके उत्तर में सरकार ने अगस्त प्रस्ताव, 1940 लायी। कांग्रेस को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, और कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संवैधानिक सुधार किये जायेंगे, पर युद्ध के समय भारतीयों को सरकार को पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

दूसरे विश्वयुद्ध की स्थिति को देखते हुए और मित्र राष्ट्रों के द्वारा इंग्लैण्ड पर डाले गए कुछ दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1942 में यह निर्णय लिया कि क्रिप्स मिशन भारत भेजने का।

* क्रिप्स मिशन का नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे।
* 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुँचा।

इस मिशन के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे —

(i) भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी।
(ii) संविधान भारत को डोमिनियन प्रास्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी देगा,
(iii) सभी प्रान्तों और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा, लेकिन

Scanned with CamScanner

(iv) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत या देसी रियासत नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा तो उसको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बनाये रखने का अधिकार होगा, लेकिन यदि बाद में वह चाहेगा तो इस संविधान में शामिल हो सकता है।

लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिये अस्वीकार कर दिया कि क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने का सुझाव नहीं था।

कैबिनेट मिशन योजना, 1946

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद वायसराय लार्ड वेवेल की प्रेरणा से शिमला सम्मेलन किया गया। इसके असफल हो जाने पर ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए. वी. एलेक्जेंडर को भारत भेजा। इनके द्वारा जो योजना बनायी गई, उसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया।

* इस मंत्रिमण्डल ने पृथक संविधान सभा और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के दावे को मना कर दिया।

Scanned with CamScanner

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

(i) ब्रिटिश संसद की प्रभुता और उत्तरदायित्व की समाप्ति।

(ii) अब सम्राट प्राधिकार का स्रोत नहीं रहा।

(iii) गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवर्नर भारत के सांविधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लगे।

(iv) कार्यकारी परिषद् और परामर्शदाता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त हो गये।

(v) स्वविवेकानुसार, अपने विवेकानुसार कार्य करते हुये और अपने स्वयं के विवेक से शब्द 1935 के अधिनियम से निकाल दिये गये।

(v) गवर्नर-जनरल की उस शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया जिसके अनुसार वह ~~गवर्न~~ गवर्नरों से यह अपेक्षा करता था कि वे उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करें।

(vi) 14-8-1947 को भारत का केन्द्रीय विधान मंडल विघटित हो गया। और संविधान बनने तक और नये विधान मंडल गठित होने तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियम के केन्द्रीय विधान मंडल के रूप में कार्य करना था।

(vii) संविधान सभा को दोहरा काम करना था - सांविधानिक और विधायी।